"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2011—आषाढ़ 20, शक 1933

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2630/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के प्रावधानों के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. सी-6-23/77/14-3, भोपाल दिनांक 15-12-1981 द्वारा, सरगुजा जिले के अंबिकापुर तहसील के तत्कालीन विकासखंड अंबिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर एवं उदयपुर के संपूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों के मण्डी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए अंबिकापुर में मण्डी विनियमित की गई है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने सीतापुर मण्डी को बंद करने के लिए अधिसूचना क्र. 2642 दिनांक 11-07-11 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

और यत:, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अंबिकापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है के साथ सीतापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति अंबिकापुर गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है; अत: सरगुजा जिले के अंतर्गत अंबिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर, उदयपुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति अंबिकापुर के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, अंबिकापुर मण्डी के मण्डी क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तन का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि), छत्तीसगढ़ शासन (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

## अनुसूची

अंबिकापुर मण्डी के प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र :—

(क) सरगुजा जिले की अंतर्गत वर्तमान तहसील अंबिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर, उदयपुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के संपूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2630/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2630/एफ/04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

## NOTIFICATION

No./2630/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./C-6-23/77/14-3, Bhopal, dated 15-12-1981, issued under the provision of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Ambikapur, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, Development blocks Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhoulpur and Udaypur of Ambikapur Tahsil of Sarguja District.

Whereas, by issuance of Notification vide No. 2642 dated 11-07-11 the State Government, by exercise the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70, of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablished the market of Sitapur.

And Whereas, the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby, signify its intention to amalgamate the notified market area of Sitapur with notified market area of Ambikapur, as mentioned above, constituting one market committee of Ambikapur, thus comprising of complete area of Tahsil Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhoulpur, Udaypur, Sitapur, Batoli, Narmadapur and Mainpat under Sarguja District, inclusive of all forest villages mentioned in Scheduled below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Ambikapur.

Now, therefore, the above referred draft of proposed alteration in the market area of Ambikapur Mandi, is hereby published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Ambikapur Market :—

(A) Complete area inclusive of all revenue and forest villages of present Tahsil Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhoulpur, Udaypur, Sitapur, Batoli, Narmadapur and Mainpat under Sarguja District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2632/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के प्रावधानों के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 754/12086/14-1, भोपाल दिनांक 07-02-1969 द्वारा, सरगुजा जिले (वर्तमान जशपुर जिले) के पॉल तहसील के तत्कालीन विकासखंड रामचन्द्रपुर, बलरामपुर एवं वाड्रफनगर के संपूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए, रामानुजगंज में मण्डी विनियमित की गई है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार अधिसूचना क्र. 2636 दिनांक 11-07-11 द्वारा कुसमी मण्डी को बंद करने के लिए इसके आशय को संसूचित करती है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रामानुजगंज के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है के साथ कुसमी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति रामानुजगंज गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है. अत: सरगुजा जिले के अंतर्गत तहसील रामचन्द्रपुर, बलरामपुर, वाड्रफनगर, कुसमी तथा शंकरगढ़ के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति रामानुजगंज के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, मण्डी क्षेत्रों के समामेलन का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि), छत्तीसगढ़ शासन (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची

रामानुजगंज मण्डी के प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र :—

(क) सरगुजा जिले के अंतर्गत वर्तमान तहसील रामचंद्रपुर, बलरामपुर एवं वाड्रफनगर, कुसमी एवं शंकरगढ़ के संपूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2632/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2632/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

NOTIFICATION

No./2632/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./754/12086/14-1, Bhopal dated 07-02-1969, issued under the provision of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Ramanujganj, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, Development blocks Ramchandrapur, Balrampur and Vadrafnagar of Pal Tahsil of Sarguja District (presently Jashpur District).

WHEREAS, vide Notification No. 2636 dated 11-07-11 the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablished the market of Kusami.

Therefore, the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby, signifies its intention to amalgamate the notified market area of Kusami with the notified market area of Ramanujganj, as mentioned above, constituting one market committee of Ramanujganj, thus comprising of complete area of Tahsil Ramchandrapur, Balrampur, Vadrafnagar, Kusami and Shankargarh under Sarguja District, inclusive of all forest villages, as mentioned in Schedule below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Ramanujganj.

Now, therefore, the above referred draft to amalgamate the market areas, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government at Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Ramanujganj Market :—

(A) Complete area inclusive of all forest villages of present Tahsil Ramchandrapur, Balrampur, Vadrafnagar, Kusami and Shankargarh under Sarguja District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

## अधिसूचना

क्रमांक/2634/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 2183/8954/14-1, भोपाल दिनांक 16-04-1969 द्वारा, सरगुजा जिले (वर्तमान कोरिया जिले) के बैकुण्ठपुर तहसील के तत्कालीन विकासखंड बैकुण्ठपुर एवं सोनहट के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के मण्डी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, बैकुण्ठपुर में मण्डी विनियमित की गई है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने मनेन्द्रगढ़ मण्डी को बंद करने के लिए, अधिसूचना क्र. 2638 दिनांक 11-07-11 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बैकुण्ठपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है के साथ मनेन्द्रगढ़ के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति बैकुण्ठपुर गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है, अत: कोरिया जिले के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, जनकपुर (भरतपुर तहसील), खड़गवा, बैकुण्ठपुर एवं सोनहट तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति बैकुण्ठपुर के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, बैकुण्ठपुर मण्डी के मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

### अनुसूची

बैकुण्ठपुर मण्डी के प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र :—

(क) कोरिया जिले के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, जनकपुर (भरतपुर तहसील), खड़गवां, बैकुण्ठपुर एवं सोनहट तहसील के सम्पूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2634/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2634/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

NOTIFICATION

No./2634/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No.2183/8954/14-1, Bhopal dated 16-04-1969, issued under the provision of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Baikunthpur, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, Development blocks Baikunthpur and Sonhat of Baikunthpur Tahsil of Sarguja District (Presently Koria District).

WHEREAS, by issuance of Notification vide No. 2638 dated 11-07-11 the State Government, by exercise the powers conferred under clause (iv) of sub- section (1) of Section 70, of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablished the market of Manendragarh.

AND WHEREAS, the State Government by exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby signifies its intention to amalgamate the notified market area of Manendragarh with notified market area of Baikunthpur, as mentioned above, constituting one market committee of Baikunthpur, thus comprising of complete area of Tahsil Manendragarh, Janakpur (Bharatpur Tahsil), Khadgawa, Baikunthpur and Sonhat under Koria District, inclusive of all forest villages, as mentioned in the Scheduled below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Baikunthpur.

NOW, therefore, the above referred draft of proposed alteration in the market area of Baikunthpur Mandi, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Baikunthpur Market :—

(A) Complete area inclusive of all revenue and forest villages of Manendragarh, Janakpur (Bharatpur Tahsil) Khadgawa, Baikunthpur and Sonhat under Koria District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2636/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. डी-15/41/89/14-3, भोपाल, दिनांक 25-04-1991 द्वारा, सरगुजा जिले के सामरी तहसील के विकासखंड कुसमी और शंकरगढ़ के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, कुसमी में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "कुसमी मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुसमी मण्डी को बंद करने के लिए इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत: कृषि उपज मण्डी समिति रामानुजगंज के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ कुसमी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2632 दिनांक 11-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

कुसमी मण्डी को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (2) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि समुचित प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2636/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2636/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

NOTIFICATION

No./2636/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No./D-15/41/89/14-3, Bhopal dated 25-04-1991, issued under Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Kusami, having market area comprising, Development blocks Kusami and Shankargarh of Samari Tahsil of Sarguja District, hereafter refer to as "the notified market area of Kusami mandi".

In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby signify its intention, through this notification, to disestablish market of Kusami.

AND WHEREAS, the State Government through its Notification vide No. 2632 dated 11-07-11 had, signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Kusami with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Ramanujganj.

The referred to above draft of disestablish of Kusami Mandi, which the State Government its hereby published as required by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the appropriate draft shall be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall consider by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

## अधिसूचना

क्रमांक/2638/एफ-04/01/2010/14-2.—यह कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-513/957/14-1, भोपाल दिनांक 27-01-1969 एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक/3621/एफ-14-34/2007/14-2, रायपुर दिनांक 19-06-2008 द्वारा तत्कालीन सरगुजा जिले (वर्तमान-कोरिया जिले) के तत्कालीन विकासखंड मनेन्द्रगढ़, खड़गवां तथा कोरिया जिले के जनकपुर (भरतपुर तहसील) के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, मनेन्द्रगढ़ में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "मनेन्द्रगढ़ मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राज्य सरकार महसूस करती है कि वर्तमान मण्डी समिति मनेन्द्रगढ़ आर्थिक रूप से जीवनक्षम नहीं है, अतएव छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मनेन्द्रगढ़ मण्डी को बंद करने के लिए, इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत:, कृषि उपज मण्डी समिति बैकुण्ठपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ मनेन्द्रगढ़ के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2634 दिनांक 11-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, मण्डी क्षेत्र को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्रं. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2638/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2638/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

## NOTIFICATION

No./2638/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No.513/957/14-1, Bhopal dated 27-01-1969 under Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) and by amended Notification vide No./3621/f-14-34/2007/14-2, Raipur, dated 19-06-2008, issued under Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Manendragarh, having market area comprising of the then, Development blocks Manendragarh, Khadgawa of Sarguja District (presentaly-Koria district) and Janakpur (Bharatpur Tahsil) of Koria District, hereafter refer to as "the notified market area of Manendragarh mandi".

WHEREAS, on administrative ground, the State Government feels that the present mandi samiti Manendragarh is not financially viable and therefore, the State Government, by exercise of the power conferred under clause (IV) of sub-section (1) of Section 70, of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), signify its intention through this notification, to disestablish market of Manendragarh.

AND WHEREAS, the State Government through its Notification vide No. 2634 dated 11-07-11 had, signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Manendragarh with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Baikunthpur.

Now, therefore, the above referred draft to disestablish a market area, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

## अधिसूचना

क्रमांक/2642/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-2483-9227/14-3, भोपाल, दिनांक 28-04-1969 द्वारा, सरगुजा जिले के तत्कालीन विकासखंड सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, राज्य सरकार द्वारा सीतापुर में मण्डी विनियमित की गई है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सीतापुर मण्डी को बंद करने के लिए इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत: कृषि उपज मण्डी समिति अंबिकापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ सीतापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2630 दिनांक 11-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

सीतापुर मण्डी को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (2) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि समुचित प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383) दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक/2642/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2642/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 11-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2011

NOTIFICATION

No./2642/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No. 2483-9227/14-3, Bhopal dated 28-04-1969, issued under Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the market at Sitapur, having market area comprising of the then, Development blocks Sitapur, Batoli, Narmadapur and Mainpat of Sarguja District.

In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby signify its intention through this notification, to disestablish market of Sitapur.

And Whereas, the State Government through its Notification vide No. 2630 dated 11-07-11 had, signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Sitapur with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Ambikapur.

The referred to above draft of disestablish of Sitapur Mandi, which the State Government its hereby published as required by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the appropriate draft shall be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall consider by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.